

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

(दूरभाष संख्या-0135-2972421, फ़ैक्स-0135-2972425, ई मेल-dir.agri.Uttarakhand@gmail.com)

पत्रांक-3049/पंजी.-जिओ लाइन टैंक/2026-27 देहरादून दिनांक-07 अगस्त, 2026

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय- जीओ लाइन टैंक हेतु पंजीकृत/सूचीबद्ध फर्म विषयक।

कृषि निदेशालय के पत्र संख्या-कृ.नि./1721/पंजी/कृषि यंत्र/2026-27, दिनांक 23 जून, 2026 के द्वारा विभिन्न जीओ लाइन टैंक की विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त के क्रम में जिओ लाइन टैंक के मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों से प्राप्त आवेदन पत्रों को गठित पंजीकरण समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त निम्न जिओ लाइन टैंक की विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों को सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया। सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु चिन्हित किए गए जिओ लाइन टैंक के मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	जिओ लाइन टैंक के मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों का विवरण	दर निविदा के आधार पर निर्धारित की जा रही न्यूनतम दर
1.	Bajrang Bali Industries, Village-Sampatpur, Rudrapur, USNagar	बेसिक मूल्य रु० 91500.00 तथा टैक्स रु० 16470.00 कुल मूल्य रु० 107970.00 (एक लाख सात हजार नौ सौ सत्तर) न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।
2.	Saaransh Agro Solution Pvt. Ltd, 64, Gandhi Road, Shree Laxmi Plaza Complex, UGF 115, Dehradun	
3.	Tripti Irrigation, Ward No-1, Dhyani Bhawan, Bhartpur, Ramnagar, Nainital	
4.	Rockhill Agritech Pvt. Ltd., Kedarpuram, Doon University Road, Dehradun	
5.	Shalimar Enviro PVT LTD, 608, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi	
6.	Varun Fertilizer Pvt. Ltd. A-58, Transport Nagar, Dehradun	
7.	MDS Agri Infrastructure, Plot No-273, Tea Estate, Near Flyfoot School Banjarawala Dehradun	

उक्तानुसार सूचीबद्ध/पंजीकृत जिओ लाइन टैंक के मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों से दर निविदा के आधार पर निर्धारित की जा रही न्यूनतम दर पर जिओ लाइन टैंक का निर्माण करा सकते हैं। जिओ लाइन टैंक पर नियमानुसार विभागीय अनुदान देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

1. उपरोक्त विनिर्माता फर्म/अधिकृत डीलर की वैद्यता सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
2. जिओ लाइन टैंक पर अनुदान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमन्य सीमा तक ही देय होगा।
3. अनुदान का भुगतान कृषकों को कार्य पूर्ण होने पर डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में किया जाए।

4. दर निविदा के आधार पर जिओ लाइन टैंक के निर्माण में सूचीबद्ध फर्मों द्वारा बेसिक मूल्य रु० 91500.00 तथा टैक्स रु० 16470.00 कुल मूल्य रु० 107970.00 (एक लाख सात हजार नौ सौ सत्तर) न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, इसी दर पर विभागीय अनुदान देय होगा।
5. सत्यापन/मापन एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित विभागीय नियम, योजना की गार्डलाईन/मार्गनिर्देशिका के अन्तर्गत दिशानिर्देश तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
6. विभागीय सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत किए गए मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा जिओ लाइन टैंक विभागीय टैक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही निर्मित हो। **(संलग्नक-01)**
7. जिओ लाइन टैंक की विशिष्टियां (Technical Specification) में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
8. यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन करते हुए बजट की उपलब्धता एवं लक्ष्यों के आधार पर ही कार्य कराया जाए।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषकों द्वारा जिओ लाइन टैंक के मेक/माडल, गुणवत्ता तथा मूल्य से पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के बाद ही जिओ लाइन टैंक को स्थापित करें तथा मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा लाभार्थी कृषकों को जिओ लाइन टैंक स्थापना के उपरान्त जिओ लाइन टैंक को चलाने और उसके रख-रखाव की तकनीकी जानकारी से सन्तुष्ट करना होगा।
10. सूचीबद्ध/पंजीकृत विनिर्माता फर्म/अधिकृत डीलरों को कृषक द्वारा स्थापित कराए गए जिओ लाइन टैंक पर अनुदानित वर्ष एवं कृषि विभाग का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
11. विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कृषकों द्वारा स्थापित जिओ लाइन टैंक का निरीक्षण करने पर जिओ लाइन टैंक को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही ऐसी मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों को विभाग द्वारा काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जाएगी।
12. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन की स्थिति में मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों पर संशोधित शर्तें/नियम प्रभावी होंगे।
13. मूल निर्माता फर्म द्वारा प्रति जनपद केवल एक की डीलर की नियुक्ति की जा सकती है, जिसका अनुमोदन नियमानुसार निदेशालय स्तर से प्राप्त किया जाएगा।
14. यदि फर्म के मानक संबंधी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि से पूर्व समाप्त होती है, तो फर्म को नवीनीकृत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।
15. जिओ लाइन टैंक की न्यूनतम दरों में वृद्धि नहीं की जाएंगी, परन्तु जिओ लाइन टैंक की निर्माण सामग्री की दरों में कमी होने पर लागत में कमी का संशोधन किया जा सकता है।
16. विभाग द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं में फर्म द्वारा स्थापित किए जाने वाले जिओ लाइन टैंक में से नमूना रेण्डम रूप से आहरित कर परीक्षण कराया जा सकता है, जिसका परीक्षण का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

17. जिओ लाइन टैंक निर्माता को टैंक निर्माण की सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की न्यूनतम पांच वर्ष की गारंटी/वॉरन्टी भी देनी होगी।
18. मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा चार परत जिओ लाईन टैंक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा तथा मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट अधिकृत संस्था से उपलब्ध करानी होगी। जिओ लाईन टैंक स्थापित करने में संबंधित फर्म द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण संलग्न है। (संलग्न-2)
19. मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा जिओ लाईन टैंक में प्रयुक्त होने वाली एच०डी०पी०ई० शीट का परीक्षण CIPET अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।
20. इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित निर्धारित शर्तें एवं नियम पूर्णतः मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों पर लागू होंगे, जिसका पालन न करने पर विभाग किसी भी प्रकार की आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- /पंजी.- जिओ लाइन टैंक /2026-27/दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों को इस आशय से प्रेषित कि दर निविदा में निर्धारित टेक्निकल स्पेसिफिकेशन (संलग्न) तथा उपरोक्तानुसार दर निविदा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना अनिवार्य होगा।


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

17. जिओ लाइन टैंक निर्माता को टैंक निर्माण की सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की न्यूनतम पांच वर्ष की गारंटी/वॉरन्टी भी देनी होगी।
18. मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा चार परत जिओ लाईन टैंक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा तथा मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट अधिकृत संस्था से उपलब्ध करानी होगी। जिओ लाईन टैंक स्थापित करने में संबंधित फर्म द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण संलग्न है। (संलग्न-2)
19. मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों द्वारा जिओ लाईन टैंक में प्रयुक्त होने वाली एच०डी०पी०ई० शीट का परीक्षण CIPET अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।
20. इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित निर्धारित शर्तें एवं नियम पूर्णतः मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों पर लागू होंगे, जिसका पालन न करने पर विभाग किसी भी प्रकार की आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-3049/पंजी.- जिओ लाइन टैंक /2026-27/दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विनिर्माता फर्मों/अधिकृत डीलरों को इस आशय से प्रेषित कि दर निविदा में निर्धारित टेक्निकल स्पेसिफिकेशन (संलग्न) तथा उपरोक्तानुसार दर निविदा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना अनिवार्य होगा।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

(संलग्नक-2)

जियो लाईन टैंक का टैक्नीकल स्पेसिफिकेशन का विवरण

क्र. सं.	विनिर्माता फर्म/अधिकृत डीलर का विवरण	जिओ लाईन जिस फर्म का प्रयुक्त हो रहा है, का विवरण	तार (वायर मेश) जिस फर्म का प्रयुक्त हो रहा है, का विवरण	जी०आई० प्रोफाईल शीट जिस फर्म का प्रयुक्त हो रहा है, का विवरण
1	2	3	4	5
1	Bajrang Bali Industries, Rudrapur, USNagar	OSCAR Protective Fabrics, Gujarat	Bajrang Bali Industries, Gram-Sampatpur, Japharpur, Tehsil-Rudrapur, USNagar	Chawla Ispat Pvt. Ltd.
2	Saaransh Agro Solution Pvt. Ltd, Dehradun	EMMBI Industries Ltd. Silvasa	Madhu Wire Netting Industries, Delhi	Uttaranchal Enterprises
3	Tripti Irrigation, Dhyani Bhawan, Bhartpur, Ramnagar, Nainital	Gen Star Technical Febrics Pvt. Ltd., Andheri East Mumbai	Balaji Wire Pvt. Ltd., Mohannagar	Arcelor Mittal Nippon Steel India Pvt. Ltd.,
4	Rockhill Agritech Pvt. Ltd., 31 Dimri Niwas, Picture Palace, Mussoori, Dehradun	1- Ananta Synthetic Innovation Manipur, Gujraat 2- MIPA Industries	Bansal Wire Industries Ltd., Delhi	JSW Steel Coated Product Ltd., Hariyana (SS Color Steel)
5	Shalimar Enviro PVT LTD, Pitampura, New Delhi	Shalimar Enviro PVT LTD, Pitampura, New Delhi	Bansal Wire Industries Ltd., Delhi	Gupta Iron & Steel Corporation
6	Varun Fertilizer Pvt. Ltd. A-58, Transport Nagar, Dehradun	MIPA Industries Pune, Maharastra	Bansal Wire Industries Ltd., Delhi	Shiva Udhyog, Narela (JSW Steel Coated Ltd., Hariyana)
7	MDS Agri Infrastructure, Plot No-273, Tea Estate, Near Flyfoot School Banjarawala Dehradun	EMMBI Industries Ltd. Silvasa	Shiva Udhyog, New Delhi	NPN Steel, Ludhiana Punjab

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

(संलग्नक-1)

Minimum Technical Specification of Four Layer Geo Lined Tank 20000 litre

S.N.	Description of Items		
1	Providing and Fixing Wire Mesh 3.1mm thickness Zinc Coating 100gsm drawn steel BIS 3975: 1999 wire mesh fabric 75x24 mm wire of weight not less than 3.30 Kg per sqm to steel		
2	Providing and Fixing Pre-coated galvanized iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by engineer -in-charge) 0.50 mm (+0.05 %) total coated thickness with zinc coating 80- 120 grams per sqm as per IS: 277/BIS 14246:2013, in 240 mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both sides of the sheet		
3	Providing and Fixing Monofilament Geo textile having Thickness ASTM D 5199/EN9863 2.1 mm Mass ASTM D 5261 300 GM/M2 Wide width tensile Elongation ASTM 4595/EN 10319 50/50% Grab Tensile Strengths ASTM D4632/EN 13934 620 N. Trapezoidal Tear strength ASTM D4533/EN 90/3 300 N, Mullen Burst ASTM D3786 250 PSL, CBR Puncture Strength ASTMD6241/EN12236 1900N, Floor rate (5cm Head) ASTM 4491/EN11058 125L/S M2, UV Resistance ASTM G154@ 500 Hrs > =50% as per direction of Engineer-in-Charge.		
4	Providing and Fixing Laminated High Density Polyethylene Woven Fabric Geo membrane BIS standard BIS 15351:2015 (TYPE II) of 500 micron in which BIS standard BIS 15351:2015(TYPE II) is compulsory, breaking load on 20x10cm strip, before UV exposure IS: 13162 (Part 5) 3500 N, strain at maximum load IS:13162(PART 5) 20+-5%,tear resistance Annex C of IS: 15351 120 N, puncture resistance IS: 15351 400 N, seam strength before IS:15060 24 N/ml, hydrostatic resistance 15 kg/cm2 traditional coated woven geo membrane.		
5	Providing and Fixing Anti Algae Cover Woven Polypropylene Cover Quality 210 gr./m², Main body strength Warp40 % Weft 40 %, Main body elongation Warp 17 % Weft 14 %, Size of gap 135 micron, Water permeability 10 ltr/m²/sec,		
6	Mild steel round bar– Minimum 16 MM with Zinc coated with 3-4 round of 4 MM wire to connect each other		
7	CPVC Gate Valve		
8	Tank nipple		
9	Nut bolt		
10	MS clamp		
11	All Plastic/HDPE Sheet used should be CIPET tested		
	Description of item	Qty	Unit
12	Earth works excavation in foundation	1.63	Cum
13	R.R. 1:6 stone masonry	2.11	Cum
14	Stone filling on bottom	1.5	Cum
15	C.C. 1:4:8 in foundation	1.3	Cum
16	C.C. 1:2:4 in base of tank	1.09	Cum
17	Transportation		
18	Installation		


Director Agriculture
Uttarakhand